फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

समस्त ग्रामवासियान सुरेड़ा जरिये गणपत सिंह पिता रूपसिंह राजपूत निवासी ग्राम सुरेड़ा मजरा चुण्डावतों का खेड़ा, तहसील डूंगला वगैरा

बनाम

मोती पिता देवाजी मीणा मृत्तक के बजाएः- नंदू पत्नि मोती मीणा निवासी सुरेड़ा मजरा चुण्डावतों का खेड़ा, तहसील डूंगला, वगैरा

प्रकरण संख्या 46/2023 (रा.प्रा.पत्र)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.07.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी संख्या 2 की तामील शेष है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने आज भी वि. सं. 2 की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रकरण प्रस्तुत करने के पश्चात् आदिनांक तक वि. सं. 2 की तामील हेतु सही पते का नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया है। पूर्व पेशी दिनांक 11.07.2024 पर अधिवक्ता प्रार्थीगण को न्यायहित में अन्तिम अवसर देते हुए निर्देशित किया गया था कि आगामी पेशी पर अनिवार्य रूप से सही पते का नोटिस प्रोसेस पेश करें। आगामी पेशी पर कोई अवसर देय नहीं होगा फिर भी उनके द्वारा आज भी वि. सं. 2 की तामील हेतु सही पते का नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया है। अतः अब प्रकरण नोटिस के अभाव में आदेश 09 नियम 05 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत खारिज किया जाता है। अधीनस्थ की आवंटन पत्रावली पुनः जिला अभिलेखागार में भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	